

कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक:शिविरा/हिनि/28129/2016-17

दिनांक : 1-11-2017

समस्त जिला शिक्षा अधिकारी,
(माध्यमिक/प्रारंभिक शिक्षा)

विषय: हितकारी निधि के अन्तर्गत माध्यमिक/प्रारंभिक शिक्षा में कार्यरत कार्मिकों के बच्चों को व्यावसायिक शिक्षा में अध्ययनरत होने पर वित्तीय सहायता हेतु प्रार्थना-पत्र आमंत्रण : अन्तिम तिथि : 15.12.2017.


हितकारी निधि, माध्यमिक शिक्षा/प्रारंभिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर शिक्षा विभाग में राजकीय सुवामे कार्यरत समस्त वर्ग के शिक्षा अधिकारियों/व्याख्याता (स्कूल शिक्षा/अध्यापकों/मंत्रालयिक/सहायक कर्मचारियों) के बच्चों को व्यावसायिक शिक्षा में अध्ययनार्थ वित्तीय सहायता दिए जाने बाबत संलग्न प्रारूप-पत्र में प्रार्थना पत्र आमंत्रित किए जाते हैं। प्रार्थी द्वारा प्रार्थना-पत्र भरते समय एवं संबंधित अधिकारी द्वारा अग्रेषित करते समय निम्न बिन्दुओं को ध्यान में रख कर अग्रेषित किए जावें:-

1. यह योजना राजस्थान राज्य के शिक्षा विभाग माध्यमिक/प्रारंभिक शिक्षा में कार्यरत समस्त वर्ग के कार्मिकों के बच्चों के लिए ही लागू होगी।
2. **व्यावसायिक शिक्षा** : इंजीनियरिंग, मेडिकल एवं मैनेजमेन्ट, बी.एड.,सी.ए., एस.टी.सी.,नर्सिंग, फार्मसी पाठ्यक्रम में अध्ययनरत को ही वित्तीय सहायता देय होगी। निर्धारित पाठ्यक्रमों का विवरण निम्नानुसार है:-
 - (अ) इंजीनियरिंग में स्नातक पाठ्यक्रम (चार वर्ष)-(आठ सेमेस्टर): डिसिपलिन ऑफ सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं टेली-कम्यूनीकेशन, कम्प्यूटर साइन्स एण्ड इंजीनियरिंग, ऑटोमोबाईल, आर्कटेक्चर, टैक्सटाईल, माईनिंग, रबर टेक्नोलोजी, केमिकल इंजीनियरिंग, इन्स्ट्रुमेन्टेशन एण्ड कन्ट्रोल, प्रिन्टिंग, केमिकल टेक्नोलोजी, मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग, एरोनोटिकल इंजीनियरिंग, प्रोडेक्शन टेक्नोलोजी, शिप बिल्डिंग एण्ड फेब्रिकेशन टेक्नोलोजी, नेवल आर्किटेक्चर, पेट्रोलियम इंजीनियरिंग।
 - (आ) मेडिकल(एलोपैथी),होम्योपैथी,आयुर्वेदिक फार्मस ऑफमेडिसिन्स एवं पशु आयुर्विज्ञान।
 - (इ) उपर्युक्त पैरा(अ,आ) में उल्लेखित डिग्री(4वर्ष),डिप्लोमा पाठ्यक्रमों की अवधि तीन वर्ष से कम की नहीं होनी चाहिए।
 - (ई) डिप्लोमा पाठ्यक्रम, बी-फार्मा की अवधि दो वर्ष से कम की नहीं होनी चाहिए।
 - (उ) स्नातक पाठ्यक्रम के पश्चात् मैनेजमेन्ट पाठ्यक्रम की अवधि दो वर्ष से कम की नहीं होनी चाहिए।
 - (ऊ) बी.एड.पाठ्यक्रम की अवधि दो वर्ष तथा एस.टी.सी. पाठ्यक्रम की अवधि दो वर्ष की मान्य है।
3. प्रार्थना-पत्र की सभी प्रविष्टियां स्वयं कर्मचारी/संस्था प्रधान द्वारा भरी जानी चाहिए।
4. भुगतान किया गया वास्तविक शुल्क प्रार्थना-पत्र के कॉलम संख्या 12 में स्पष्ट रूप से अंकित करें। प्रार्थना-पत्र के साथ शुल्क की मूल रसीदें संलग्न करें। फोटोस्टेटप्रतियां स्वीकार्य नहीं होगी। सम्पूर्ण भुगतान की रसीद यदि प्रस्तुत की जाती है तो उसका मदवार विवरण प्रस्तुत करने पर ही प्रार्थना-पत्र विचारणीय होगा।
5. सत्र 2017-18 में छात्र जिस महाविद्यालय में अध्ययनरत है उस महाविद्यालय के प्रधानाचार्य का प्रमाण-पत्र संलग्न प्रारूप में संलग्न करें।
6. सहायता राशि मात्र ट्यूशन,पुस्तकालय एवं प्रयोगशाला (लेबोरेटरी) शुल्क के भुगतान पर ही देय है। अतः अन्य मदों पर किए गए भुगतान एवं एक मुश्त में दर्शायी गई राशि पर सहायता देय नहीं होगी।
7. सहायता राशि एक शैक्षणिक सत्र तक ही सीमित है। राज्य कर्मचारी के बच्चों को वित्तीय सहायता हेतु प्रार्थना-पत्र छात्र के शैक्षणिक सत्र 2017-18 में अध्ययनरत के लिए ही स्वीकार्य होंगे।
8. व्यावसायिक शिक्षा में सहायता हेतु परिवार के एक ही बच्चे के लिए प्रार्थना-पत्र स्वीकार्य होगा।

9. यह सहायता राशि वर्ष 2017-18 के लिए ही मान्य होगी। जिन्होंने ने इस सत्र में प्रवेश लिया हो उन्हें ही सहायता दी जावेगी।
10. प्रार्थना-पत्रों के आधार पर पात्रता की जांचोपरान्त एवं हितकारी निधि कोष में राशि उपलब्ध होने पर सहायता देय होगी। प्रार्थना-पत्र प्रेषित कर दिए जाने से यह तात्पर्य नहीं है कि आपको सहायता मिल जावेगी। अतः अनावश्यक पत्र व्यवहार नहीं किया जावे।
11. राज्य कर्मचारी, हितकारी निधि का नियमित अंशदाता होना चाहिए। यदि अंश दान जमा करवाया हुआ है तो भेजे जाने वाले अंशदान का डी.डी. नम्बर, दिनांक व राशि का उल्लेख सहित विवरण प्रस्तुत किया जावे।
12. यदि आप हितकारी निधि के सदस्य नहीं हैं तो आज ही नियुक्ति तिथि से अंशदान एक मुश्त जमा करवाकर सदस्य बनकर अंशदान राशि का बैंक ड्राफ्ट अध्यक्ष, हितकारी निधि, शिक्षा विभाग, राजस्थान, बीकानेर के नाम से भिजवायें। नियमित अंशदान के अभाव में सहायता राशि प्रदान नहीं की जा सकेगी।
13. सहायता राशि- एक वर्ष से दो वर्ष तक की अवधि के पाठ्यक्रम हेतु रुपये 5000/- एवं दो वर्ष से अधिक पाठ्यक्रम की अवधि के लिए रुपये 10,000/- निर्धारित है। यह सहायता राशि पाठ्यक्रम की अवधि हेतु केवल एक बारही देय होगी।
14. अपूर्ण प्रार्थना-पत्र, शुल्क की मूल रसीदें नहीं होने एवं देरी से प्राप्त होने वाले प्रार्थना-पत्र पर कोई विचार नहीं किया जावेगा। अतः ऐसी स्थिति में एवं निरस्त हुए प्रार्थना-पत्रों के बारे में कोई सूचना भी नहीं दी जावेगी। प्रार्थना-पत्र 100 से अधिक स्वीकार्य नहीं होने के कारण किसी भी प्रार्थना-पत्र को निरस्त करने का अधिकार निम्न हस्ताक्षरकर्ता के पास सुरक्षित रहेगा।

कृपया उक्त विषयक सूचना अपने अधीनस्थ विद्यालयों / कार्यालयों में प्रसारित एवं प्रचारित करावें ताकि अधिकाधिक कर्मचारीगण इसका लाभ उठा सके। अतः निर्देशित किया जाता है कि अधीनस्थ संस्था प्रधानों को पाबन्द करावे कि प्रार्थना पत्र सीधे नही भेजे, प्रार्थना पत्रों को आप अपनी अनुशंसा, सहित दिनांक 15-12-2017 तक अधोहस्ताक्षरकर्ता को के पद नाम से भिजवाने की व्यवस्था करें। तत्पश्चात् प्राप्त होने वाले प्रार्थना-पत्रों पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।


संलग्न: निर्धारित प्रार्थना-पत्र



उप निदेशक (प्रशासन) एवं
सचिव हितकारी निधि
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर

प्रतिलिपि: सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु

1. आयुक्त, सर्वशिक्षा अभियान, राजस्थान प्रा.शि.परिषद, जयपुर
2. राज्य परियोजना निदेशक, राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद, जयपुर
3. निदेशक, प्रारंभिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर
4. सचिव, राजस्थान पाठ्यपुस्तक मण्डल, जयपुर
5. निदेशक, राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान, उदयपुर
6. उपनिदेशक, समस्त प्रारंभिक / माध्यमिक शिक्षा
7. प्रधानाचार्य, राजकीय उच्च अध्ययन शिक्षण संस्थान, बीकानेर / अजमेर
8. प्रधानाचार्य, सादुल स्पोर्ट्स स्कूल, बीकानेर / संपादक शिविरा पत्रिका



उपनिदेशक (प्रशासन) एवं
सचिव हितकारी निधि
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर

हितकारी निधि
कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

हितकारी निधि से राज्य कर्मचारियों, राजपत्रित शिक्षा अधिकारी/व्याख्याता (स्कूल शिक्षा)/शिक्षक/मंत्रालयिक/सहायक कर्मचारी एवं समस्त वर्ग के राज्य कर्मचारियों (माध्यमिक/प्रारंभिक शिक्षा) के बच्चों को व्यावसायिक शिक्षा में अध्ययनरत होने पर सहायता हेतु प्रार्थना-पत्र

1. कर्मचारी का नाम..... जन्मतिथि..... आयु.....
2. पद एवं पदस्थापन स्थान.....
3. कर्मचारी की नियुक्ति तिथि.....
4. कर्मचारी का स्थायी पता.....
टेलीफोन नम्बर/मोबाईल नम्बर.....
5. कार्मिक का बैंक खाता विवरण :
 1. बैंक का नाम एवं शाखा का नाम.....
 2. आई.एफ.सी.कोड नम्बर.....
 3. कार्मिक का बैंक खाता संख्या(पासबुक की प्रति).....
6. अध्ययनरत छात्र/छात्रा का नाम..... जन्मतिथि..... आयु.....
7. छात्र/छात्रा से सम्बन्ध.....
8. छात्र/छात्रा के व्यावसायिक शिक्षा का नाम (√करें) मेडिकल/इंजीनियरिंग/मैनेजमेन्ट/बी.एड/एस.टी.सी./नर्सिंग/सी.ए.).....
9. पाठ्यक्रम की अवधि.....
10. महाविद्यालय में प्रवेश तिथि(प्रथम वर्ष).....
11. महाविद्यालय/विद्यालय का नाम एवं पता जहां छात्र/छात्रा अध्ययनरत है.....
.....(√करें)(संस्था राजकीय/अराजकीय/निजी/मान्यता प्राप्त)
12. व्यावसायिक विषय के लिए भुगतान की गई राशि की मूल रसीदें संलग्न करें :-
संलग्न कुल रसीद संख्या..... राशि.....
13. संस्था से कोई छात्रवृत्ति ली जा रही है अथवा नहीं यदि हां तो कितनी.....
14. राष्ट्रीय शिक्षक कल्याण प्रतिष्ठान से यदि कोई सहायता राशि मिली है अथवा नहीं यदि हां तो कितनी.....
15. छात्र/छात्रा जिस महाविद्यालय में अध्ययनरत है उस संस्था से प्राप्त प्रमाण पत्र संलग्न है : (हां/नहीं)
16. हितकारी निधि पंजीयन संख्या (वर्षवार कटौती विवरण) संलग्न पृष्ठ.....
17. बकाया अंशदान भिजवाने का ड्राफ्ट संख्या व दिनांक.....

मैं प्रमाणित करता हूँ/करती हूँ कि मेरी सर्वोत्तम जानकारी एवं विश्वास के अनुसार उपर दिया गया विवरण बिल्कुल सही है! इन बिन्दुओं में कोई असत्यता पाई जाती है तो हितकारी निधि, शिक्षा विभाग, बीकानेर मेरे विरुद्ध जो भी उचित समझे कार्यवाही कर सकेगा वह मुझे स्वीकार्य होगी।

कर्मचारी के हस्ताक्षर
(पद एवं कार्यरत स्थान)

संस्था प्रधान द्वारा दिया जाने वाला प्रमाण-पत्र जहां कर्मचारी कार्यरत है
(संस्था प्रधान अराजपत्रित होने पर आहरण वितरण अधिकारी से अग्रेषित करवाया जाना आवश्यक है)

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती.....
पद एवं पदस्थापन स्थान.....
जो मेरे अधीन कार्यरत है। इनके पुत्र/पुत्री.....जो(महाविद्यालय/विद्यालय)
का नाम.....
में अध्ययनरत है एवं मेडिकल/इंजीनियरिंग/मैनेजमेन्ट/बीएड/एस.टी.सी./सी.ए./नर्सिंग सत्र.....
में प्रवेश लिया है को सहायता हेतु इनका प्रार्थना-पत्र अध्यक्ष हितकारी निधि, माध्यमिक शिक्षा,राजस्थान,बीकानेर
को अनुशंसा सहित अग्रेषित किया जाता है।

जिला शिक्षा अधिकारी
हस्ताक्षर मय सील

संस्था प्रधान के हस्ताक्षर
(मोहर)

महाविद्यालय/विद्यालय का नाम.....

अध्ययनरत महाविद्यालय/विद्यालय का प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/सुश्री.....
पुत्र/पुत्री/श्रीमती..... जो
(महाविद्यालय का नाम).....
में अध्ययनरत है। इनके पुत्र/पुत्री इस महाविद्यालय का नियमित छात्र/छात्रा है।

महाविद्यालय/विद्यालय में अध्ययनरत छात्र/छात्रा विषयक विवरण निम्नानुसार है :-

पाठ्यक्रम का नाम	पाठ्यक्रम की अवधि (समेस्टर सहित)	प्रवेश तिथि	वर्तमान में किस वर्ष में अध्ययनरत है	उत्तीर्ण/अनुत्तीर्ण	विशेष विवरण

संस्था प्रधान के हस्ताक्षर
मय मोहर

कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

कार्यालय आदेश

राज्य सरकार के आदेश क्रमांक : प.21(7)शिक्षा-2/हितकारीनिधि/2017 जयपुर दिनांक 13.10.2017 के द्वारा हितकारी नियम 1975 के अन्तर्गत वार्षिक अंशदान की नई संशोधित दरें, सहायता राशि में बढ़ोतरी एवं बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने हेतु ऋण राशि में बढ़ोतरी बाबत निम्नानुसार आदेश प्रसारित किए जाते हैं।

वार्षिक अंशदान की नई दरों के अनुसार वसूली

- नियम 4(क) कर्मचारियों से वर्ष 2017-18 का अंशदान दिसम्बर माह के वेतन से जिसका भुगतान जनवरी, 2018 में दिया जाना है, नई दरों के अनुसार अंशदान की निम्नानुसार वसूली की जाए :-
 - समस्त राजपत्रित अधिकारी (स्कूल व्याख्याता सहित) रूपये 500/- प्रतिवर्ष
 - समस्त अराजपत्रित कार्मिक/अध्यापक एवं सहा.कर्मचारी सहित रूपये 250/- प्रतिवर्ष

निधन पर सहायता राशि

- नियम 13(क) सहायता राशि में संशोधन निम्नानुसार किया गया है :-
 - शिक्षा विभाग के कार्मिक के सामान्य निधन पर उसके आश्रित को आर्थिक सहायता रूपये 50,000/-
 - शिक्षा विभाग के कार्मिक की दुर्घटना में निधन पर उसके आश्रित को आर्थिक सहायता रूपये 1,50,000/-

शिक्षा पर ऋण राशि में बढ़ोतरी


- नियम 13 (घ) इस नियम के अन्तर्गत पुत्री/पुत्र की शादी पर ऋण के स्थान पर बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के लिये रूपये. 20,000/- का ऋण एक बार देय होगा।

व्यवसायिक शिक्षा पर सहायता राशि

- नियम 13(ग) इस नियम के अन्तर्गत व्यवसायिक शिक्षा पर सहायता राशि में संशोधन निम्नानुसार किया गया है :-
 - एक वर्ष से दो वर्षीय पाठ्यक्रम अवधि के लिये रूपये 5000/- (एकबार)
 - दो वर्ष से अधिक अवधि के पाठ्यक्रम हेतु रूपये 10,000/- (एकबार)

उपरोक्त सहायता/ऋण राशि नियमित अंशदाता को ही स्वीकृत की जावेगी। बिन्दु संख्या 2 से 4 के लिये विस्तृत नियम एवं शर्तें अलग से जारी किए जा रहे हैं।

हितकारी निधि योजना की सफलता के लिए अपने अधीनस्थ कार्यालयों/विद्यालयों में इसका प्रचार-प्रसार किया जावे। कल्याणकारी योजनाओं में बढ़ोतरी हेतु वर्ष 2017-18 की अंशदान राशि सभी अधिकारी/कार्मिकों से परिवर्तित दर के अनुसार प्राप्त कर भिजवाई जावे। अतः वर्ष 2017-18 का अंशदान "अध्यक्ष, हितकारी निधि, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर" के नाम का बैंक ड्राफ्ट/ बैंक चैक बनवाकर भिजवावें। इसे सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान की जावे।



(नथमल डिडेल)
IAS


निदेशक एवं अध्यक्ष
हितकारी निधि
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर

क्रमांक: शिविरा-माध्य/हिनि/28519/15-16

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

- समस्त उप निदेशक, माध्यमिक/प्रारंभिक शिक्षा, राजस्थान
- समस्त जिला शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक/प्रारंभिक शिक्षा, राजस्थान
- समस्त ब्लॉक, प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी
- समस्त विशिष्ट संस्थाएं/
- शिविरा पत्रिका/

दिनांक: 27.10.17
30.10.17



उप निदेशक(प्रशासन)
एवं सचिव हितकारी निधि